रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-71

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 125] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 22, 1984/चैत्र 2, 1906
No. 125] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 22, 1984/CHAITRA 2, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1984

का. आ. 186(अ).—केन्द्रीय सरकार, अमृतसर आइल वर्क्स (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1982 (1982 का 50) की धारा 2 के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 25 मार्च, 1984 को, उक्त अधिनियम की धारा 15 के प्रयोजनों के लिए, तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 18/6/84-बी.ओ.पी.]

श्री श्री. गोपाला, उप सचिव

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 1984

S.O. 186(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of section 2 of the Amritsar Oil Works (Acquisition and Transfer of Undertakings), Act, 1982 (50 of 1982), the Central Government hereby specifies the 25th day of March, 1984 as the date for the purposes of section 15 of the said Act.

[No. 18|5|84-BOP]

B. D. GOPALA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984